न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –98 / 2023

अनवान

कचरूलाल पुत्र लक्ष्मण कुमावत, जाति कुमावत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. उदयलाल पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल, जाति कुमावत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कंकू देवी पत्नी स्वर्गीय मोतीलाल, जाति कुमावत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गीता बाई पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल पत्नी सोहन जी, जाति कुमावत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बिछोर, तहसील बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. शंकरी बाइ्र पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल, पत्नी नानूराम जाति कुमावत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. सुंदरलाल पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल, जाति कुमावत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा।

– प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौर अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01 से 4 एकतरफा कार्यवाही व 5 स्वयं उपस्थित।
06 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 17.11.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जावदा, प0ह0 जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की कृषि आराजीयात, जिसके खाता संख्या 11 सम्वत् 2076–79 खसरा संख्या 302 मी, 302 / 961, 306 कुल किता 03, कुल रकबा 1.0100 हैक्टर लगानी 6.0100 पैसे जो खाते में प्रार्थी के सम्पूर्ण हिस्सा खाते नाम दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त आराजीयात पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 11 के आराजी संख्या 302 मी, 302 / 961, 306 पर आने–जाने का रास्ता ग्राम जावदा के मूल रास्ते आराजी नम्बर 253 गै0मु0रास्ता रकबा 1.0000 है0 से होकर अप्रार्थी संख्या 01 मोतीलाल पिता जगरूप कुमावत के खाता नम्बर 211 की आराजी संख्या 305 से होता हुआ प्रार्थी की कृषि आराजीयात नम्बर 302 मी, 302 / 961, 306 पर जाता है उक्त रास्ते का प्रार्थी कदीवी समय से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है, उक्त रास्ता प्रार्थी के बाप–दादाओं के समय से ही बना हुआ है, उक्त रास्ते की चौड़ाई लगभग दस से बारह फीट है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 मोतीलाल ने उक्त रास्ते को बंद कर दिया है, अप्रार्थी संख्या 01 मोतीलाल प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने–जाने के लिए मना करता है तथा प्रार्थी द्वारा कुछ कहने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर अमादा है, इसलिए आये दिन प्रार्थी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह प्रार्थना–पत्र रास्ता कायम करने हेतु न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है, इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी राशि जमा कराने के लिए भी तैयार है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ग्राम जावदा की आराजी संख्या 302 मी, 302 / 961, 306में आने जाने हेतु अप्रार्थीगणों की कृषि काश्त भूमि आराजी संख्या 305 में रास्ता कायम कर तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kriti Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] गया। अप्रार्थी मोतीलाल की फौत की सूचना तामील प्राप्त होने पर प्रार्थी वकील द्वारा अप्रार्थी मोतीलाल के वारिसान अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को कायम किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 05 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो जवाब पेश करने से इन्कार कर रास्ते दिए जाने के संबंध मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया

है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम जावदा प0ह0 जावदा के आराजी संख्या 302मी. रकबा 0.45है0, आराजी संख्या 302/961 रकबा 0.50है0, आराजी संख्या 306 रकबा 0.06है0 कुल किता 03 रकबा 1.01है0 भूमि कचरूलाल पिता लक्ष्मण कुमावत के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 302मी., 302/961, 306 पर आने–जाने हेतु रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त आराजी पर रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी ने ग्राम जावदा की आराजी संख्या 305 रकबा 0.27है0 भूमि मोतीलाल पिता जगरूप कुमावत के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें से दक्षिणी मेड से रास्ता चाहा गया है। ग्राम जावदा की आराजी संख्या 195 रकबा 0.43है0 गै0मु0 रास्ता बिलानाम ना.का.काश्त दर्ज रिकार्ड है जो मौके पर चालू है। उक्त रास्ता खेत पर जा रहा है जो कि आम रास्ता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं है। आराजी संख्या 305 में प्रस्तावित रास्ते में कोई पक्का निर्माण नही है। प्रस्तावित रास्ते में कुआं/ट्यूबवेल नहीं है। इस प्रकार आराजी संख्या 305 में लम्बाई 96 मी. व चौडाई 5 मी. अनुसार 96X5=480 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आएगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 621323/– रूपये प्रति हैक्टेयर अथवा 62.13 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 480 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर अनुसार वैल्यू 480X62.13=29822/– रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है मुझ प्रार्थी की ग्राम जावदा प0ह0 जावदा के आराजी संख्या 302मी. रकबा 0.45है0, आराजी संख्या 302/961 रकबा 0.50है0, आराजी संख्या 306 रकबा 0.06है0 कुल किता 03 रकबा 1.01है0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता ग्राम जावदा के मूल रास्ते आराजी नम्बर 253 गै0मु0रास्ता रकबा 1.0000 है0 से होकर अप्रार्थी संख्या 01 मोतीलाल पिता जगरूप कुमावत के खाता नम्बर 211 की आराजी संख्या 305 से होता हुआ प्रार्थी की कृषि आराजीयात नम्बर 302 मी, 302/961, 306 पर जाता है उक्त रास्ते का प्रार्थी कदीवी समय से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी अपने खाते की जमीन पर आ–जा नहीं पा रहा है। उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, रास्ते को तरमीम करने का निवेदन किया है इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा रास्ता दिए जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश होने से रास्ता दिए जाने में किसी प्रकार का खण्डन नहीं हुआ है एवं तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा प्रस्तावित रास्ता जो न्यूनतम दूरी का आराजी संख्या 305 का होने से प्रस्ताव स्वीकार कर विपक्षीगण संख्या 01 से 05 की आराजी संख्या 305 के दक्षिण मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 306 तक जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित होकर मुख्य रास्ते से मिलता है। इस रास्ते में आराजी संख्या 305 (480 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। ग्राम जावदा की आराजी संख्या 305 मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 480 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 621323/ रू. प्रति है0 से 480X62.13=29822 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 59644/– रू बनती है।

न्यायालय ने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दूरी के रास्ते मे से आराजी संख्या 305 मे से ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है, अतः प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा की आराजी संख्या 302 मी, 302/961, 306 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से 5 की आराजी संख्या 305 के दक्षिण मेर के सहारे–सहारे कुल 480 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 480 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 621323/रू. अनुसार कीमत 29822 रू की दुगुनी दर से राशि 59644/रू. (अक्षरे रूपये उनसठ हजार छः सौ चौवालिस रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 से 5 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 480 वर्गमीटर राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 01 से 05 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested

ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kriti Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested